विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 12 जून, 2013 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 58वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 12 जून, 2013 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में श्री एस आर राव, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 58वीं बैठक हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 577 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से इस समय 389 एसईजेड अधिसूचित हो गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 11 जून, 2013 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,36,716.65 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 10,74,904 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, एसईजेड से 3,64,477.73 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2010-11 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 15.39 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में 11 जून, 2013 तक 4,76,159 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है जो वित्त वर्ष 2011-12 की समतुल्य अवधि के निर्यात की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 58.1 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड के निर्णय इस प्रकार हैं :

(i) अंडूरकोणम गांव, तिरुवनंतपुरम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स - केरल द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सनटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड में अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने तथा इस प्रकार सृजित सुविधाओं को अपनी नियंत्रक कंपनी को पट्टा पर देने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स सनटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि यह

अनुमोदन ऐसी अवसंरचना पर लागू होगा जिसे अनुमोदन बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करने के बाद सह विकासक द्वारा निर्मित किया गया है / किया जाएगा।

मद संख्या 58.2 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में मैसर्स कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड से 32.712 हेक्टेयर के आंशिक विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल 32.859 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, विमुक्त क्षेत्र में कोई यूनिट नहीं है या उनको डिबांड किया गया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(ii) अपने एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सिपकॉट आईटी पार्क, सिरुसेरी, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में भूमि की सन्निकटता बनाए रखने की शर्त के अधीन 5.666 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 16.516 हेक्टेयर हो जाएगा।

मद संख्या 58.3 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 42.7045 के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इनफ्रा लिमिटेड जो सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 42.7045 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इनफ्रा लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा अन्य बातों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी

कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, एसईजेड में कोई यूनिट नहीं है या उनको डिबांड किया गया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(ii) 10.347 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त कराने के लिए मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जो कोल्तूर गांव, समीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने कोल्तूर गांव, समीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.347 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा अन्य बातों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, एसईजेड में कोई यूनिट नहीं है या उनको डिबांड किया गया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(iii) 440.714 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त कराने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड जो ग्राम मोहम्मदपुर झरसा, घरौली खुर्द, खांडसा एवं हरासरु, जिला गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 440.714 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम मोहम्मदपुर झरसा, घरौली खुर्द, खांडसा एवं हरासरु, जिला गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा अन्य बातों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, एसईजेड में कोई यूनिट नहीं है या उनको डिबांड किया गया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

अध्यक्ष ने निदेश दिया कि उपर्युक्त मद 58.3 के तहत अनुमोदित सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना सीबीडीटी और सीबीईसी को अवश्य भेजी जाए।

मद संख्या 58.4 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

खोपटा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मुंबई एसईजेड लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार करने से पूर्व मुद्दे पर राज्य सरकार की राय प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 58.5 : पांचवें एवं छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए *5*वें साल के बाद तथा *6* माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) 16 जून 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) जीआईडीसी, पनोली औद्योगिक संपदा, पनोली, जिला भड़ूच, गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 16 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) सर्वे नंबर 1/1, रविरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 16 मार्च, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 16 मार्च 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई तथा विकास आयुक्त, वीएसईजेड को डीआरडीओ द्वारा नो डवलपमेंट एरिया की शर्त लगाने से संबंधित मुद्दे पर राज्य सरकार से परामर्श करने का भी निदेश दिया।

(iii) ग्राम कल्याणगढ़ एवं गांगढ़, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में फर्मास्युटिकल एवं फाइन केमिकल एसईजेड स्थापित करने के लिए 16 अप्रैल, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स दिशमन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 16 अप्रैल, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) ब्लाक 9, कक्कानाड गांव, कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 20 अप्रैल, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20अप्रैल, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(v) प्लाट नंबर टीपी-1, राय, सोनीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 13 मार्च, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स अनंत राज लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 13 मार्च, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vi) ग्राम रहाका एवं निमोठ, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिक एसईजेड स्थापित करने के लिए 13 जुलाई, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 13 जुलाई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vii) ग्राम सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 24 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(viii) ग्राम नगवारा, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 मार्च, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 5 मार्च, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ix) सावली जीआईडीसी संपदा, मजुसार गांव, वडोदरा जिला, गुजरात में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 जून, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 22 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(x) ग्राम भुर्कामुंडा एवं भागकीपल्ली, तहसील एवं जिला झर्सूगुडा, उड़ीसा में एल्युमिनियम के निर्माण और निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 22 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xi) बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स मंगलौर एसईलेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 29 जुलाई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) चौथी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 नवंबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xiii) प्लाट नंबर सी-01, सेक्टर 67, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2012 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएसई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 12 जून, 2013 से 6 माह तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xiv) 15/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 12 जून, 2013 से 6 माह तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xi) टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 अप्रैल, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 12 जून, 2013 से 6 माह तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) इच्छापुर, सूरत, गुजरात में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2013 के बाद (6वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात हीरा बुर्स का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 6 अप्रैल, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xvii) गौडाकाशीपुर तथा एरिसल गांव, जिला खुर्दा, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अप्रैल, 2013 के बाद (सातवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (इडको) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 24 अप्रैल, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xviii) उथुकुली गांव, इरोड जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 30 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xix) नवाल्लूर गांव, चेंगुलपेट तालुक और सेम्मेंचेरी गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान

किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 5 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xx) घमरोज, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 25 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xxi) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 26जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xxii) करकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अप्रैल, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 25 अप्रैल, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xxiii) 6 मई 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट जो कांडला एवं टूना, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 6 मई 2013 के बाद 6 जुलाई 2013 तक और फिर एक साल की अवधि के लिए 6 मई 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने लिए वाणिज्य विभाग द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि की। विकास आयुक्त, केएएसईजेड को एसईजेड की प्रगति की ध्यान से निगरानी करने का निदेश दिया गया।

मद संख्या 58.6 : चौथे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 31 मार्च, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पीएंडजे क्रिटेकेम प्राइवेट लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में दाहेज द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 31 मार्च, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 27 जुलाई, 2013 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 27 जुलाई, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 23 अप्रैल, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 23 अप्रैल, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) 4 अगस्त, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आईगेट कंप्यूटर सिस्टम लिमिटेड जो पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 4 अगस्त, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(v) 30 जून, 2013 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेघमणि यूनीकेम एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 30 जून, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vi) 17 दिसंबर, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एपीआईआईसी एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 17 दिसंबर, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vii) मैसर्स साफ्टसोल इंडिया लिमिटेड जो मधुरवाड़ा, विशाखापत्तनम में मैसर्स एपीआईआईसी द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, को चार माह की अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाए जाने की पुष्टि के लिए विकास आयुक्त, वीएसईजेड का अनुरोध क्योंकि यूनिट ने अब प्रचालन शुरू कर दिया है

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 15 अप्रैल, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, वीएसईजेड के निर्णय की पुष्टि की।

(viii) 3 दिसंबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो विलानकुरिची गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में एलकॉट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 3 दिसंबर, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ix) 15 अगस्त, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो भड़ूच, गुजरात में दाहेज द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 15 अगस्त, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(x) 31 मार्च, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई, तमिलनाडु की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xi) 29 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 29 मई, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xii) 15 अक्टूबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो भड़ूच, गुजरात में दाहेज द्वारा विकसित बहुत उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 15 अक्टूबर, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 58.7 : एलओपी के विविध विस्तार

(i) मैसर्स ग्रोज इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि 30 अप्रैल, 2013 तक बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 30 अप्रैल, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग के निर्णय की पुष्टि की।

(ii) मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड जो झर्सुगुडा, ओडिशा में वेदांता एसईजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि 8 अप्रैल, 2014 तक बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 8 अप्रैल, 2014 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग के निर्णय की पुष्टि की।

मद संख्या 58.8 : विविध मामले

(i) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डीटीए रिफाइनरी तथा आगामी सी2 कम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए एसईजेड से होते हुए एक पाइप रैक इंस्टाल करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि इस मामले की जांच करने तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा समिति का गठन किया गया है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया कि वाणिज्य विभाग उपर्युक्त समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद फाइल पर मामले को प्रोसेस करे।

(ii) सह विकासक के स्वामित्व के अंतरण के लिए मैसर्स फिनिक्स हाइटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, सेरिलिंगापल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं।

(iii) वड़ोदरा, गुजरात में स्टर्लिंग एसईजेड एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ओएनजीसी द्वारा ड्रिलिंग एवं अन्वेषण की गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गतिविधियों के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए विशेष मामले के रूप में स्टर्लिंग एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधि के रूप में ड्रिलिंग / अन्वेषण को शामिल करने के लिए विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड द्वारा अग्रेषित यूनिट अनुमोदन समिति की मंजूरी की पुष्टि की।

(iv) एसईजेड की पूर्वी दिशा में एक अतिरिक्त फाटक लगाने के लिए मैसर्स बायोकान लिमिटेड जो केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि किसी अतिरिक्त जनशक्ति, सामग्री आदि पर वहन की गई कोई अतिरिक्त लागत विकासक द्वारा वहन की जाएगी।

(v) वृंदावन टेक विलेज एसईजेड (वीटीवी) से प्रिटेक पार्क एसईजेड में मैसर्स ऑकवेन फाइनेंसियल सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की यूनिटों को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के हस्तांतरण के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी को यूनिट के अंतरण से उत्पन्न कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) वृंदावन टेक विलेज एसईजेड (वीटीवी) से प्रिटेक पार्क एसईजेड में मैसर्स अल्टीसोर्स बिजनस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की यूनिटों को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के हस्तांतरण के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी को यूनिट के अंतरण से उत्पन्न कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि भविष्य में एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनिट के हस्तांतरण के ऐसे सभी मामलों को वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर प्रोसेस किया जाना चाहिए।

(vii) अपनी एसईजेड यूनिट को फेस 3, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, पुणे, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा विकसित दूसरे एसईजेड में रिलोकेट करने के लिए मैसर्स सिनेक्रोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो एंबेसी टेक जोन, एमआईडीसी, फेज 2, हिंजेवाड़ी, महाराष्ट्र में मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के स्थानांतरण के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी को यूनिट के अंतरण से उत्पन्न कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि चूंकि एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनिटों के स्थानांतरण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करते समय अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं इसलिए एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनिट के हस्तांतरण के सभी समान मामलों को वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर प्रोसेस किया जाना चाहिए।

(viii) समीपवर्ती आरएमजेड इकोवर्ल्ड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड, बंगलौर में अतिरिक्त स्थान का अधिग्रहण करके उत्पादन की अपनी क्षमता में विस्तार के लिए मैसर्स सोनी इंडिया साफ्टवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (एसआईएससीपीएल) जो वृंदावन टेक विलेज एसईजेड, बंगलौर की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स एसआईएससीपीएल के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को सुनने तथा विचार विमर्श करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नई यूनिट के रूप में दूसरे एसईजेड में विस्तार के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। नई यूनिट नए एलओए के लिए आवेदन करेगी। तथापि अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि एसआईएससीपीएल अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है और स्वेच्छा से प्रतिबद्धता की है कि वे नई सुविधा के आयकर लाभों को अपनी मौजूदा एसईजेड यूनिट के आयकर लाभों के साथ सह अवसानिक के रूप में लेंगे तथा केवल समाप्त न हुई अवधि के लिए आयकर लाभ का दावा करेंगे। इस तरह एसआईएससीपीएल इन दो यूनिटों के बीच लोगों एवं संविदाओं के फ्री मूवमेंट को सुगम बनाना चाहता है। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि आयकर अधिनियम की धारा 10एए के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ एक एसईजेड की मौजूदा यूनिट से दूसरे

एसईजेड की प्रस्तावित नई यूनिट में कर्मचारियों / संविदाओं के मूवमेंट के मुद्दे के संव्यवहार के संबंध में आशंकाओं को उपर्युक्त स्थिति तथा विधिक रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग द्वारा उपयुक्त ढंग से दूर करने की आवश्यकता है।

(ix) मंजूरी पत्र दिनांक 22 दिसंबर, 2009 के (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तों को माफ करने के लिए मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड जो श्रीपेरंबदूर में नोकिया एसईजेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त नहीं पाया।

(x) रासायनिक तथा कृषि रासायनिक उत्पादों में ट्रेडिंग के लिए दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कृषि मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है तथा विचार विमर्श के बाद निदेश दिया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय से परामर्श करने के बाद वाणिज्य विभाग फाइल पर इसका निस्तारण करे।

(xi) क्षमता में वृद्धि के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स त्रिशिराया रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने क्षमता बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर नीति को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि एक साल के लिए अर्थात 1 जनवरी 2014 तक होगी।

(xii) डीटीए में यूनिट को सरप्लस स्टीम की आपूर्ति के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड जो देवुनीपालावालासा गांव, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की तथा वाणिज्य विभाग को निदेश दिया कि औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए मामले को फाइल पर प्रोसेस किया जाए।

(xiii) डीटीए में यूनिटों के लिए अपने केन्द्रीकृत जल एवं निस्सारी शोधन संयंत्र के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो विशाखापट्टनम में एकीकृत टेक्सटाइल एवं अपैरल एसईजेड है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की तथा वाणिज्य विभाग को निदेश दिया कि औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए मामले को फाइल पर प्रोसेस किया जाए।

मद संख्या 58.9 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) 19 अक्टूबर 2012 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की 53वीं बैठक द्वारा मौजूदा एलओपी में यूरिया के निर्यात व्यापार को शामिल करने के लिए आवेदन अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स कंसोलिडेटेड कोबाल्ट केमिकल्स लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि आवेदक ने 15 मार्च 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में अपील की थी परंतु आस्थगित करने का अनुरोध किया था क्योंकि उनका प्रतिनिधि सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ था।

बोर्ड ने नोट किया कि आवेदक ने अपनी अपील को पुन: आस्थगित करने का अनुरोध किया है क्योंकि उसका प्रतिनिधि सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ था। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एकपक्षीय रूप में अपील को खारिज कर दिया।

मद संख्या 58.9 : अध्यक्ष की अनुमति से विविध मुद्दे

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करने वाली एसईजेड यूनिटों तथा पुराने एवं फटे पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग का व्यवसाय करने वाली यूनिटों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का कार्य पूर्ण होने के कगार पर है। तद्नुसार, निर्णय लिया गया कि एसईजेड में प्लास्टिक तथा फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि 30 सितंबर 2013 तक या दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाए।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

******